न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 56/2025 G.C.M.S. No. 2025/320 दर्ज दिनांक :09.06.2025

अपीलार्थिगण:

1. पारूदेवी पत्नी भोलाराम, जाति देवासी, निवासी निम्बोड़ा तहसील भीनमाल जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. गीगाराम पुत्र लुम्बाजी, जाति रेबारी, निवासी निम्बोड़ा तहसील भीनमाल, जिला जालोर
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी, भीनमाल के राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 18/2024 बउनवान गीगाराम बनाम पारूदेवी में पारित आदेश दिनांक 30.05.2025

पैरोकार–

1. श्री शम्भुदान आशिया विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01

निर्णय

दिनांक: 27.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी भीनमाल द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2024 बउनवान गीगाराम बनाम पारूदेवी में पारित आदेश दिनांक 30.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 गीगाराम ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर अपने खेत खसरा संख्या 820 रकबा 1.0700 हैक्टर में जाने के लिए अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 820 रकबा 1.0700 हैक्टर में जाने के लिए अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 821 रकबा 2.4300 हैक्टर में से 20 फीट चौड़ा रास्ता प्राप्त करना चाहा। सहायक कलेक्टर भीनमाल ने सरहद मौजा निम्बोड़ा के आराजी खसरा नम्बर 821 में से 141 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा रास्ता घोषित किया। मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 820 पर पहूंचने हेतु अन्य रास्ता मौजुद होने के बावजूद भी उस पर विचार नहीं कर अपीलाधीन आदेश द्वारा रास्ता देकर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। अपीलांट/अप्रार्थी ने अपने जवाब

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

में स्पष्ट कर दिया था कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा नम्बर 821 पर पहुचने हेतु उसके भाईयों के खेत खसरा नम्बर 820/965, 819, 819/966 से रास्ता खसरा नम्बर 1198/791 के रेकर्डेड रास्ता से मिलता है। पहले खसरा नम्बर 819 व 820 एक ही चक में प्रार्थी व उसके भाईयो के खातेदारी के खेत थे, जो आपसी बंटवाडा कर अलग अलग कर दिये तथा अब पुराना रास्ता होते हुए भी अपीलांट को तंग करने हेतु नया रास्ता अपने खेत में से चाह रहा है। विधि का यह सामान्य सिद्धान्त है कि खातेदारी आराजी में से एक से अधिक रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अपीलांट के खेत में से पहले से ही रास्ता खसरा नम्बर 874 निकल रहा है, जिससे अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 821 व 875 बन चुके है, इसलिए अब अपीलांट की खातेदारी में से नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। सरकारी गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 874 के लोर पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के परिवार की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 822 आई हुई है। गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 874 से नया रास्ता खसरा नम्बर 822 में से आगे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के भाईयो के खेत खसरा नम्बर 824 में से उसके खेत तक दिया जा सकता है। अपीलांट ने प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र के जवाब के साथ नक्शा परिशिष्ट ब प्रस्तुत कर मौके की स्थिति रास्ता बाबत् स्पष्ट कर दी थी तथा यह भी बता दिया था कि निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 817 के पश्चिम लोर से भी उपलब्ध करवाया जा सकता है, जिसके परिशिष्ट ब में मार्क–एच से आई दर्शाया गया है। इस निकटतम व सुविधाजनक रास्ते पर विचार नहीं कर इस संबंध में मौका जांच नहीं कर खसरा नम्बर 821 में से ही नया रास्ता देने का आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने मौके के विपरित आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के खेत तक पहूचने हेतु रास्ता कई वर्षो से खसरा नम्बर 820/965, 819, 819/966 पर मौजुद होने, नया रास्ता रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के परिवार के खसरा नम्बर 822 से 824 होता हुआ सुगम रास्ता विकल्प में उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमावे।

अपील अपीलांट दर्ज की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जसवंतपुरा में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2025 को पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि ग्राम निम्बोड़ा तहसी भीनमाल के खसरा संख्या 820 रकबा 1.07 हैक्टर में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

खसरा संख्या 821 रकबा 2.43 हैक्टर में से रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क प्रस्तुत किया।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में दो मौका रिपोर्ट तलब की गयी। प्रथम मौका रिपोर्ट भू अ निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.05.2024 को तैयार की गयी। जिस पर अपीलांट अप्रार्थी द्वारा आपति करने व पुनः मौका रिपोर्ट तलब किए जाने की मांग किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गयी। जो भू अ निरीक्षक द्वारा दिनांक 16.05.2025 को तैयार की गयी। दोनो मौका रिपोर्ट एवं भू–नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 820 तक की पहुच के लिए कोई पहुच मार्ग उपलब्ध नहीं है अर्थात रास्ते की मांग आत्यतिक आवश्यकता की मांग पर आधारित है। मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 821 की पूर्वी सीमा के सहारे रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो खसरा संख्या 874 गै मु. रास्ता को प्रार्थी की आराजी से जोड़ता है। प्रथम रिपोर्ट दिनांक 29.05.2024 में खसरा संख्या 821 के दक्षिण पूर्व कोने में कोई निर्माण या संरचना होना अंकित नहीं है जबकि द्वितीय रिपोर्ट दिनांक 16.05.2025 के अंकन अनुसार अपीलांट अप्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 821 के दक्षिण पूर्वी कोने जो खसरा संख्या 874 के गै मु रास्ता से लगता हुआ स्थित है पर 15ग्15 मीटर में पानी की कच्ची डिग्गी निर्मित होना अंकित है। इससे साफ जाहिर है कि अपीलांट अप्रार्थी द्वारा जानबुझकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण विचारण के दौरान उक्त संरचना को निर्मित किया गया। भू अ निरीक्षक द्वार रिपोर्ट दिनांक 16.05.2025 द्वारा उक्त संरचना को छोड़कर ए से बी के रूप में 141 मीटर लम्बा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। भू. अ. निरीक्षक द्वारार मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रभावित खातेदार को बखूबी सूचित किया गया। अपीलांट अप्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने इंकार किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 16.05.2025 के मुताबिक अपीलाधीन आदेश द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया है।

4. अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया है कि खसरा संख्या 875 व 821 अपीलांट की आराजी है जिसके बीच में से खसरा संख्या 874 गै मु रास्ता निकल रहा है जिससे अपीलांट की आराजी दो भागो में विभक्त हो चुकी है तथा अपीलाधीन आदेश द्वारा एक और रास्ता स्वीकृत कर दिया गया है। जो नहीं दिया जा सकता। हमारे विनम्र मत में प्रथम तो खसरा संख्या प्रथम तो 821 व 875 भले ही अपीलांट की आराजी हो दोनो के खसरा संख्या अलग अलग है तथा दोनो खसरान की सीमा से लगते हुए गे मु रास्ता 874 दर्ज है जो केवल उक्त दोनो खसरान के मध्य ही नहीं बल्कि भू अभिलेख में दर्ज व चलायमान आम रास्ता है अतः अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा संख्या 821 की सीमा के सहारे रास्ता स्वीकृत किया गया है न कि खसरा संख्या 821 के मध्य से।

5. उपलब्ध अभिलेख एवं मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के आराजी खसरा संख्या 820 तक पहुच के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम दूरी का विकल्प उपलब्ध नहीं है न ही अपीलांट द्वारा अन्य कोई विकल्प प्रस्तावित किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में विधिगत या प्रक्रियागत किसी प्रकार की कोई त्रुटि साबित नहीं होती है तथा अपील अपीलांट भलिभांति साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी भीनमाल द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2024 बउनवान गीगाराम बनाम पारूदेवी में पारित आदेश दिनांक 30.05.2025 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner